

पृष्ठ संख्या - 53

पृष्ठ संख्या - 15
राजस्थान पत्रिका . जयपुर, बुधवार, 30 जनवरी, 2019
patrika.com

राजस्थान आवासन मण्डल

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की महिला आवासीय योजना जयपुर के आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+3) व अल्प आय वर्ग (जी+3) के शेष पंजीकृत आवेदकों एवं प्रताप नगर योजना, जयपुर के स्ववित्त पोषित योजना वर्ष-2013 के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग (स्टिपेंड+10), सेक्टर-26, विशिष्ट पंजीकरण योजना-2010 के अन्तर्गत आर.एच.बी. कृष्णा अपार्टमेंट (जी+3) सेक्टर-28 तथा पंजीकरण योजना वर्ष-2012 (प्रथम चरण) अफोर्डेबल योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+3) सेक्टर-29 के शेष पंजीकृत आवेदकों को उपलब्ध अर्वाशिष्ट फ्लैट्स आवंटन हेतु फ्लैट आवंटन लॉटरी दिनांक 28.02.2019 को प्रातः 11.00 बजे "वेब बेस्ड प्रणाली" द्वारा कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, सेक्टर-05, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में आयोजित की जानी है।
उक्त आवंटन लॉटरी का कार्यक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित है -

क्र. सं.	कार्य का विवरण	दिनांक	सम्बंधित कार्यालय
1.	लॉटरी हेतु योग्य/अयोग्य आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	22.02.2019 (साय 5.00 बजे)	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, सेक्टर-5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के नोटिस बोर्ड एवं मण्डल की वेबसाइट पर
2.	आशेष प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	25.02.2019 (साय 6.00 बजे तक)	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, सेक्टर-5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर
3.	योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन	26.02.2019 (साय 5.00 बजे)	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, सेक्टर-5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के नोटिस बोर्ड एवं मण्डल की वेबसाइट पर
4.	फ्लैट्स आवंटन लॉटरी	28.02.2019 (प्रातः 11.00 बजे से)	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, सेक्टर-5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

नोट: - (1) यदि कोई आवेदन वांछित सूचना कार्यालय में नहीं देने के कारण प्रस्तावित लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। (2) लॉटरी कार्यक्रम की अवधि में भूतान पद्धति परिवर्तन के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। (3) पंजीकृत आवेदनों को दिनांक 25.02.2019 तक पूर्व ग्रहण/आरक्षण पत्रानुसार राशि जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करने के उपरान्त ही लॉटरी में शामिल किये जायेंगे। (4) फ्लैट्स आवंटन लॉटरी में पति/पत्नी एवं परिवार के आश्रित अन्य आवेदक के नाम जयपुर स्थित मण्डल अथवा जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम आदि में कोई भूखण्ड/आवास का पंजीकरण/आवंटन पाये जाने पर आवेदक पंजीकरण/आवंटन सदैव निरस्त किये जाने एवं सम्पूर्ण पंजीकरण राशि जब्त किये जाने योग्य होगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक स्वयं की होगी। (5) आवास/फ्लैट्स आवंटन लॉटरी हेतु योग्य/अयोग्य आवेदकों की सम्पूर्ण सूची मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर तथा अयोग्य आवेदकों की अस्थाई/स्थाई सूची निर्धारित कार्यक्रमानुसार वृत्त-प्रथम कार्यालय के नोटिस पर उपलब्ध रहेंगी।

उप आवासन आयुक्त
वृत्त-प्रथम, रा.आ.मं., जयपुर
राज. संवाद/सी/5518/2018-19

राजस्थान पत्रिका दिनांक 8-2-2019
पृष्ठ संख्या - 53

राजस्थान आवासन मण्डल

आवश्यक संशोधित सूचना

राजस्थान आवासन मंडल, वृत्त-प्रथम के अधीन महिला एवं प्रताप नगर आवासीय योजना जयपुर के विभिन्न आय वर्गों की फ्लैट आवंटन लॉटरी के संबंध में आवश्यक सूचना राजस्थान पत्रिका दिनांक 30.01.2019 में प्रकाशित करवाई गई थी। सहवन से द्वारकापुरी आवासीय योजना, सेक्टर-26, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर सम्मिलित होने से रह गई। अतः दिनांक 28.02.2019 को आयोजित की जाने वाली आवंटन लॉटरी में द्वारकापुरी फेज-प्रथम एवं द्वितीय के उपलब्ध आवेदकों को भी फ्लैट आवंटन लॉटरी में सम्मिलित किया जावेगा। लॉटरी कार्यक्रम, अन्य नियम व शर्तें पूर्वानुसार रहेंगी।

राजस्थान संवाद/सी/2018-19/5656

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर

+